

20/10/25  
2025/457

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)


क्रमांक / सीकर / 2025 /

दिनांक 06/10/2025

संबन्धी प्रकरण - श्रीमजूम बनाम भूमिधारी तहसीलदार  
प्राथमिक पत्र अन्तर्गत चौका 138 एल0 आर0 एकट, 1956  
मुकदमा संख्या - 140 X 2025

-: दुरुस्ती का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का आदेश :-

उपरोक्त विषयानुसार लक्ष्य है कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने जरिये पत्रांक 09 / मु.अ. / 2025 दिनांक 27/09/2025 के द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा - 138 के अन्तर्गत भिजवाये गये राजस्व ग्राम शुगाभरुवा पटवारी हल्का श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के भूमि खाता संख्या 123, 135, 136 में खातेदार सेवा पुत्र शुगा भाति गुजर के स्थान पर सेवाराम पुत्र शराराम भाति गुजर का नाम दुरुस्त किये जाने के आदेश जारी किये गये हैं। पटवारी हल्का श्रीमाधोपुर उपरोक्त आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती कर पालना रिपोर्ट एक माह में इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे।


  
(अधिकारी)  
उपखण्ड अधिकारी  
श्रीमाधोपुर (सीकर)

क्रमांक / सीकर / 2025 /

दिनांक 06/10/2025

प्रतिनिधि :- निम्न को सूचनाार्थ एवं पालनार्थ:-

1. तहसीलदार श्रीमाधोपुर (सीकर) को सूचनाार्थ।
2. पटवारी हल्का श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर को पालनार्थ।

  
उपखण्ड अधिकारी  
श्रीमाधोपुर (सीकर)

